बिहार राज्य सूचना आयोग
फोन नं0-2225713
चौथा तल्ला, सूचना भवन, बेली रोड, पटना
फैक्स नं0- 2235466

96
97

पत्रांक–1 / वि0–229 / 07 / 1517 / रा0सू0आ0 पटना, दिनांकः 17 दिसम्बर, 2007

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव
सभी सचिव
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

प्रधान सचिव कोषांग
ग्रामीण विकास विभाग
डायरी सं0 10800
तिथि 19/12/07

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–4 के प्रावधानों का कर्यान्वयन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सूचना आयोग के तत्वावधान में दिनांक 07.12.07 को सरकारी विभाग के पदाधिकारियों एवं सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के क्षेत्र में कार्यरत, गैर सरकारी स्वयंसेवी सस्थाओं की एक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें **सूचना का अधिकार 'समस्याऐं एवं समाधान'** पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के दौरान अन्य तथ्यों के अलावें यह तथ्य भी उजागर हुआ कि जिला स्तर पर अधिनियम की धारा 4 (1) (क) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकार द्वारा अपने अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित एवं अनुकमणिकाबद्ध रीति से नहीं रखा गया है। धारा 4 (2) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकार द्वारा निरंतर उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से जनता को नियमित अंतरालों पर अधिक से अधिक सूचनाऐं उपलब्ध कराने के लिए उपाय करना चाहिए जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम–से–कम उपयोग करना पड़े। जिला एवं प्रमंडलीय कार्यालयों द्वारा इसका कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है।

उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि अपने प्रमंडल स्तर तथा जिला स्तर के लोक प्राधिकारों को अधिनियम की धारा 4 (1) (क) एवं 4 (2) के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए यथाविहित अनुदेश जारी कर आयोग को भी सूचित करने का कष्ट किया जाय।

2439
24.12.07

विश्वासभाजन
17/12/07
(एस0 के0 मिश्र)
सचिव